FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

प्रीतपाल कौर आदि बनाम हरविन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 10 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/186

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025	प्रार्थीगण प्रीतपाल कौर पुत्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 35 एच के खाता संख्या 62/62 के मुरब्बा नम्बर 8, खाता संख्या 108/106 के मुरब्बा नम्बर 18, खाता संख्या 73 के मुरब्बा नम्बर 16 एंव खाता संख्या 76/74 के मुरब्बा नम्बर 20 की भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	
२०/5/२५	आज यह पत्रावली वादगत भूमि के संबध मे वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेशी मे ली गई। कैवियटकर्ता अधिवक्ता को प्र.स.133/२०२5 व 34/२०२5 अनवान हरविन्द्र सिंह बनाम बघेल सिंह आदि मे सुना गया। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर निर्णीत कि जाकर मूलवाद के साथ संलग्न किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)